07

संo / /XXIV(1)नवसृजित/2015–19/2015

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित)अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2015

विषयः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यांश की प्रथम किश्त रू0 839.59 लाख के सापेक्ष रू0 7500.00 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा0प0का0/1188/लेखा–2/केन्द्रांश–राज्यांश/2015–16 दिनांक 06 अगस्त, 2015 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से केन्द्रांश की किश्त को प्राप्त होने में विलम्ब के दृष्टिगत शिक्षको के लम्बित वेतन के भुगतान केन्द्रॉस प्राप्त होने की प्रत्याशा में 35 प्रतिशत राज्यांश के विपरीत वर्ष 2015–16 के लिए स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष राज्यांश की प्रथम किश्त की अवशेष देयता धनराशि रू0 8393.59 लाख के अन्तर्गत रू0 7500..00 लाख (रू0 पिचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति में दी गयी शर्तो/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01–04–2015 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूॅजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूॅजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(8) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) प्र0वि0 द्वारा यथाशीघ्र केन्द्रांश अवमुक्त करने के संदर्भ में कार्यवाही करते हुए वित्त विभाग को अवगत कराया जायगा।

(11) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना, मानकों तथा शर्तो की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 175(P)/XXVII(3)/2015 दिनांक 04–9–2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

सं0 09 (i)/XXIV(1)/2015–19/2015 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।

02–महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।

03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0– 09 / XXIV(1)नवसृजित/2015-19/2015 दिनाँक 04/09/15 संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2015–16 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2015–16
अनुदान संख्या–29 (सामान्य)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
0104	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	30000.00	5679.00
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	7500.00	1418.00
अनुदान संख्या–31 आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	2127.31	403.00
	योग	**39627.31**	**7500.00**

(रूपये पिचहत्तर करोड़ मात्र)

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव